संख्या-80/2026-873-001-002-5-9099-50-2026

प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 04 अगस्त, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-35 के अन्तर्गत उपलब्ध आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष जनपद- देवरिया के ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र के भवन के पुनः निर्माण हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष देय प्रथम किश्त की धनराशि के विरूद्ध अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- प0क0(9)/अ-अ-18(ए0एन0एम0टी0सी0)/2026-27/202, दिनांक 28.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-देवरिया के ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र के भवन के पुनः निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-35 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केद्रों का पुनः निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रथम किश्त की धनराशि रू0 857.97 लाख (लागत के 50 प्रतिशत के समतुल्य) में से अवमुक्ति हेतु शेष धनराशि रू0 275.075 लाख (रूपये दो करोड पचहत्तर लाख सात हजार पॉच सौ मात्र) को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, के शासनादेश दिनॉक 26.08.2014 यथासंशोधित में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 यथासंशोधित में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 पी0एफ0ए0डी0 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
7. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
8. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज दिया जायेगा।
10. अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,75,07,500 (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख सात हजार पाँच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 035 लेखा शीर्षक 4210808000400 ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों का पुन:निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-55/दस-2026-27, दिनांक 30 जुलाई, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रवि रंजन
विशेष सचिव।

संख्या-80/2026/873(1)-001-002-5-9099-50-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया।
3- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
6- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (लेखा) अनुभाग-2/लोक निर्माण अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
8- निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in